(5) राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने के मूल्य का तत्काल भुगतान कराना सुनिश्चित करें।

(6) के.टी.वेयर्स और लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से प्रदान किए जाने वाले ऋण घटक को कुल परियोजना लागत के 66.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया है।

(7) 1992-93 मौसम के लिए 31 रुपये प्रति क्विंटल की तुलना में 1993-94 मौसम के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एस.एम.पी.) 34.50 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है जो 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी से संबंधित है। 1994-95 मौसम के लिए 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी पर गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य की 37 रुपये प्रति क्विंटल की अग्रिम घोषणा भी की गई है।

(8) नई चीनी मिलों तथा विस्तार परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन योजना में समुचित संशोधन कर दिया गया है।

(9) राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे चीनी फैक्ट्रियों से गुड़ तथा खंडसारी इकाइयों की ओर गन्ने का विपणन रोकने के लिए विभिन्न उपाय करें।

## विवरण

**1990-91, 1991-92, 1992-93 और 1993-94 चीनी मौसमों के दौरान राज्य-वार चीनी का उत्पादन**

(लाख टन)

| क्र० सं० | राज्य | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 (15.7.94 तक) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | पंजाब | 2.75 | 3.84 | 4.09 | 3.22 |
| 2. | हरियाणा | 3.75 | 4.89 | 3.45 | 3.09 |
| 3. | राजस्थान | 0.24 | 0.38 | 0.24 | 0.16 |
| 4. | उत्तर प्रदेश | 29.75 | 36.53 | 28.57 | 26.75 |
| 5. | मध्य प्रदेश | 1.03 | 1.28 | 0.60 | 0.37 |
| 6. | गुजरात | 8.32 | 7.53 | 7.51 | 8.22 |
| 7. | महाराष्ट्र | 41.18 | 42.19 | 33.60 | 27.17 |
| 8. | बिहार | 4.15 | 4.62 | 3.27 | 2.14 |
| 9. | असम | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.04 |
| 10. | उड़ीसा | 0.23 | 0.37 | 0.33 | 0.25 |
| 11. | पश्चिमी बंगाल | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| 12. | नागालैण्ड | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 13. | आन्ध्र प्रदेश | 7.01 | 8.43 | 5.40 | 6.33 |
| 14. | कर्नाटक | 9.42 | 10.32 | 8.48 | 7.12 |
| 15. | तमिलनाडु | 11.83 | 12.64 | 9.76 | 9.65 |
| 16. | पांडिचेरी | 0.48 | 0.63 | 0.45 | 0.35 |
| 17. | केरल | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| 18. | गोआ | 0.08 | 0.18 | 0.13 | 0.07 |
| | समस्त भारत: | 120.47 | 134.11 | 106.09 | 95.02 |

### गेहूं की खरीद

2487. **श्री राघवजी:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरवरी, 1994 से जून, 1994 तक की अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा अपनी विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से खरीदी गई गेहूं की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार की एजेन्सियों ने ऐसी क्वालिटी के गेहूं को खरीदने से मना कर दिया है जिसने वर्षा के कारण अपनी प्राकृतिक चमक खो दी है परन्तु जो एफ.ए.क्यू. के अंतर्गत आता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी क्वालिटी के गेहूं को खरीदने का विचार रखती है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

**खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय):** (क) एक विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के अनुरोध पर, केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश के 16 जिलों में वर्षा से प्रभावित चमक रहित गेहूं, जिसमें करनल को कोई क्षति न पहुंची हो, के लिए गेहूं हेतु निर्धारित की गई विनिर्दिष्टियों में 30.6.1994 तक मूल्य में कोई कटौती किए बिना 30% तक ढील देने की इजाजत दी थी ताकि किसान अपनी गेहूं केन्द्रीय पूल के लिए सरकारी वसूली एजेन्सियों को बेच सकें। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के अनुरोध पर ढील देने की वैधता अवधि 31.7.1994 तक बढ़ा दी गई थी।

## विवरण

**फरवरी, 1994 से जून, 1994 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए वसूल की गई गेहूं की राज्यवार मात्रा बताने वाला विवरण (फरवरी और मार्च, 1994 के दौरान गेहूं की कोई वसूली नहीं की गई)**

(मात्रा हजार मीटरी टन में)

| राज्य | गेहूं की वसूली (2/94 से 6/94) |
|---|---|
| बिहार | नगण्य |

| राज्य | गेहूं की वसूली (2/94 से 6/94) |
|---|---|
| हरियाणा | 3043 |
| हिमाचल प्रदेश | नगण्य |
| मध्य प्रदेश | 62 |
| पंजाब | 7264 |
| राजस्थान | 63 |
| उत्तर प्रदेश | 1405 |
| | 11837 |

नगण्य: 50 मीटरी टन से कम

आंकड़े अनन्तिम हैं।

**CBI Investigation into sugar import**

2488. SHRI S. JAIPAL REDDY: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government had ordered investigation by the Central Bureau of Investigation (CBI) into the manner in which sugar was imported in 1989; and

(b) whether the investigation by the CBI has since been completed and if so, the findings thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI) : (a) Yes Sir.

(b) After thorough enquiry, CBI came to the conclusion that there is not sufficient material for registration of a regular case in the matter.

**चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए गुजरात को वित्तीय सहायता**

2489. श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1993-94 और 1994 में 30 जून तक कम क्षमता वाली चीनी मिलों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु गुजरात सरकार से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से अब तक कितने प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है और कितने बाकी हैं; और

(ग) शेष प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) चीनी विकास निधि से चीनी मिलों को प्लांट और मशीनरी का आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापना करने के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। 1.4.93 से 30.6.94 तक की अवधि के दौरान ऐसे ऋण प्राप्त करने के लिए गुजरात में स्थित चीनी मिलों से कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

**Setting up of Sugar Cooperative mills in Gujarat and Maharashtra**

2490. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of proposals are pending with the Central Government for setting up new Sugar Co-operative mills in Gujarat and Maharashtra;

(b) if so, how many proposals are pending from Sugar Cooperatives of Gujarat and Maharashtra as on date;

(c) what is the number of proposals which have been cleared during the last three years;

(d) by when the remaining proposals from Gujarat and Maharashtra for setting up Sugar Co-operatives are likely to be cleared; and

(e) if so, the details thereof, and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI): (a) and (b) As on 30.6.94, 7 proposals for setting up new sugar Cooperative mills in Maharashtra are pending consideration in the Ministry of Food. There is no proposal pending for setting up of a new cooperatives Sugar mill in Gujarat.

(c) During the last three sugar years, i.e. 1990-91, 1991-92 and 1992-93 (October-September), three letters of intent were issued in the States of Gujarat and Maharashtra for